

FP/UP/Pipeline/154062/2022

जनपद मुजफ्फरनगर में मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा ट्रांसपोर्टनगर मुजफ्फरनगर भोपा रोड से ग्राम जटमुझेडा तक पी0डब्लू0डी0 कि0मी0 चैनैज 79.400 से कि0मी0 चैनैज 85.900 (लम्बाई 6.5 कि0मी0) तथा मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड पर (एन0एच0-58 पलाईवर से) से पंवार धर्मकांटा ग्राम सिखेडा की सीमा तक एन0एच0-709ए0डी0 कि0मी0 चैनैज 97.450 से कि0मी0 चैनैज 104.450 (लम्बाई 7.0 कि0मी0), कुल लम्बाई-13.500 कि0मी0 में 8" डायामेटर सी0एस0 एवं 125 एम0एम0 एम0डी0पी0ई0 भूमिगत सी0एन0जी0 गैस पाईप लाइन डालने हेतु 0.6750 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भूमिगत सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाईपलाइन डालने एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश FC-11/165/2019-FC दिनांक- 27.07.2020 में उल्लिखित शर्तों के क्रम में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भूमिगत सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाईपलाइन डालने एवं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश FC-11/165/2019-FC दिनांक- 27.07.2020 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार-

Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines. General approval is accorded for taking up these projects within RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries' without felling of trees. Approval, in addition to general conditions mentioned above under para 4.1 (except condition "f"), subject to the following specific conditions:

- No tree felling is involved for the proposed work
- After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably.
- UA agrees to make good of any loss to Forest/Environment.
- The UA will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance.
- In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through National Parks and Wildlife Sanctuaries, General Approval is subject to prior permissions from the State Board for Wildlife.
- In case of project involve tree felling, ten trees for each tree marked for removal shall be planted at the cost of user agency in consultation with the local forest department.

उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में 02 मीटर गहराई व 01 मीटर चौड़ाई से कम (1.5 मी0 गहराई  $\times$  0.5 मी0 ) वीमा के अन्तर्गत 0.6750 है0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन भूमिगत गैस पाईप लाइन डाली जानी प्रस्तावित है। जिसमें दिशा निर्देश FC-11/165/2019-FC दिनांक- 27.07.2020 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार "FAC recommended that CA may not be levied in case of laying of underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines within the RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries without felling of trees."

उपरोक्त निर्देशानुसार क्षतिपूरक वनीकरण अपेक्षित नहीं है तदनुसार क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित अभिलेखों को प्रस्ताव के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(कुलदीप सिंह)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
मुजफ्फरनगर